प्रेषक,

संख्या:-916/एक-10-2025

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बलिया, बदायूँ, बरेली, शाहजहांपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, शामली एवं पीलीभीत।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 04-09-2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा भूकम्प आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज-2025 के आयोजन/संचालन हेतु धनराशि आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-723/39-प्रशि0/पी0सी0टी0/2025-26, दिनांक 21.08.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर जनपद स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से स्वीकृत धनराशि रु0 2,93,42,500/- में से माह सितम्बर, 2025 में प्रदेश के भूकम्प आपदा के प्रति संवेदनशील 34 जनपदों में "Earthquake, Industrial (Chemical) & Fire Hazards" विषय पर आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज हेतु 33 जनपदों को रु0 50,000/- प्रति जनपद की दर से एवं जनपद मेरठ को रू0 4,00,000/- की धनराशि अर्थात कुल रु0 20,50,000/- (रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि सम्बंधित जिलाधिकारी के निवर्तन पर आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 10.03.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर जनपद स्तर पर प्राधिकरण के पत्र दिनांक 21.08.2025 में उल्लिखित विवरणानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु

राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से स्वीकृत धनराशि रू0 2,93,42,500/- में से माह सितम्बर, 2025 में प्रदेश के भूकम्प आपदा के प्रति संवेदनशील 34 जनपदों में "Earthquake, Industrial (Chemical) & Fire Hazards" विषय पर आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज हेतु निम्नलिखित 33 जनपदों को रू0 50,000/- प्रति जनपद की दर से एवं जनपद मेरठ को रू0 4 ,00,000/- की धनराशि अर्थात कुल रू0 20,50,000/- (रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र) धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

क्र.सं.	जनपद	धनराशि (रुपये में)
1	मेरठ	4,00,000/-
2	मथुरा	50,000/-
3	अलीगढ़	50,000/-
4	बलिया	50,000/-
5	बदायूँ	50,000/-
6	बरेली	50,000/-
7	शाहजहांपुर	50,000/-
8	बस्ती	50,000/-
9	संतकबीरनगर	50,000/-
10	सिद्धार्थनगर	50,000/-
11	बहराइच	50,000/-
12	बलरामपुर	50,000/-
13	गोण्डा	50,000/-
14	श्रावस्ती	50,000/-
15	गोरखपुर	50,000/-
16	देवरिया	50,000/-
17	कुशीनगर	50,000/-
18	महाराजगंज	50,000/-
19	लखीमपुर खीरी	50,000/-
20	सीतापुर	50,000/-
21	अमरोहा	50,000/-
22	बागपत	50,000/-
		50,000/-

23	बिजनौर	
24	बुलन्दशहर	50,000/-
25	गौतमबुद्धनगर	50,000/-
26	गाजियाबाद	50,000/-
27	हापुड	50,000/-
28	मुरादाबाद	50,000/-
29	मुजफ्फरनगर	50,000/-
30	रामपुर	50,000/-
31	सहारनपुर	50,000/-
32	सम्भल	50,000/-
33	शामली	50,000/-
34	पीलीभीत	50,000/-
योग (रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र)		20,50,000/-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध-</u>

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5 , भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के संबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 20,50,000/- (रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-4 2 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date:01-09-2025 09:54:37

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या:-916(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-08/09/2025

प्रेषण संख्या:- 916
आवंटन आदेश संख्या:- 001-916
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
2	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
3	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 866794	400000 866794
4	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
5	अलीगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
6	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
7	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
8	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
9	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
10	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
11	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
12	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
13	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
14	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
15	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
16	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
17	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
18	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
19	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
20	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
21	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
22	गाजियाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
23	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
24	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
25	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
26	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
27	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
28	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
29	बागपत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
30	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 100000	50000 100000
31	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
32	हापुड़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
33	शामली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
34	सम्भल-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2050000 3466794	2050000 3466794

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बीस लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौंतीस लाख छियासठ हजार सात सौ चौरानवे

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।